भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 573

गुरूवार, 4 दिसम्बर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रम शक्ति नीति, 2025

573. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रम शक्ति नीति, 2025 के मसौदे में गिग, प्लेटफ़ॉर्म और प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य श्रेणियों के लिए लक्षित उपायों की परिकल्पना की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति में हरित नौकरियों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रावधान किया गया है, और यदि हाँ, तो इसके लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मसौदा नीति के अंतर्गत ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने या सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त नीति के अंतर्गत संगठित श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): "श्रम शक्ति नीति 2025 - राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति" का मसौदा एक विस्तृत विज़न दस्तावेज है जिसमें कामगारों (गिग, प्लेटफॉर्म और प्रवासी कामगारों सहित) के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है जिससे भारत 2047 तक विकसित भारत की दिशा की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा ।

इस नीति के मसौदे में प्रौद्योगिकी और हरित बदलावों के माध्यम से नए उभरते क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया गया है जिसमें कामगारों के कौशल/पुन: कौशल द्वारा, कम कार्बन उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे कर तथा टिकाऊ क्षेत्रों में नई आजीविकाओं के निर्माण द्वारा हरित रोजगार, एआई-सक्षम सुरक्षा प्रणाली और नव-परिवर्तित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस नीति में एक समावेशी और अंतर-संचालित एकल खिड़की प्रणाली की भी परिकल्पना की गई है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी कामगारों को स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, दुर्घटना जीवन बीमा आदि को कवर करते हुए पूर्ण कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी कामगारों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए।

इसके अतिरिक्त, इस नीति के मसौदे में सहयोगात्मक संघवाद, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। यह केंद्र, राज्यों और कामगारों के प्रतिनिधियों सहित सामाजिक भागीदारों के बीच समन्वित कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभों को व्यापक रूप से और समान रूप से साझा किया जाए।

*****